20/6/2017

पत्रावली मूल वाद में लाभ राजस्व लोक अदालत योग्य मानकर पत्र प्रस्तुत हुई। यदि मूल वाद में डिक्री का प्र.पा. आर.-11 स्वीकार होकर भागीय राजस्व अभिलेख में निर्णय नक्ल पत्रावली संलग्न की जाने से प्रार्थ. इस प्रकरण में मूल वाद में निर्णयानुसार पत्रावली निस्तारित की जाती है।

20.6.17

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:18:26 IST
Reason: SelfAttested